

राज्य साख योजना 2009-10

STATE CREDIT PLAN 2009- 10

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण

विभाग का नाम:— छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड

1	योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित । (यदि कोई हो तो)यदि लागू होता हो,तो कृप्या निम्नोक्त जानकारी उप-योजनावार प्रेषित की जाए । Name of the Scheme with sub-components, if any	परिवार मूलक योजना Family Oriented Scheme.
2	क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है । Whether it is a government of India/State Government sponsored Scheme?	राज्य शासन State Government.
3	राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग । Nodal Department/Directorate at the State level responsible for implementing the Scheme	छ.ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड CG Khadi and Gramodyog Board.
4	जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग । Nodal office at the District level responsible for implementing the Scheme	खादी बोर्ड के जिला अधिकारी District Officer of Khadi Board.
5	योजना का उद्देश्य । Objective of the Scheme	ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना Employment Generation in rural areas
6	क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो यहां पर योजना क्रियान्वित की जा रही है उन क्षेत्रों/जिलों/विकास खण्डों के नाम दर्शाये जाए । Whether the Scheme is being implemented in all the districts of the State? If not, indicate the regions/ districts/ blocks where the Scheme is under implementation	राज्य के सभी जिलों में योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। The scheme is being implemented in all the districts of the State.
7	किस प्रकार के हितग्राही योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये है(लघु कृषक/सीमांत कृषक/अन्य कृषक/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग/पुरुष/महिला आदि) Type of Beneficiaries covered under the Scheme. (SF/MF/OF/SC/ST/Others/Men/Women, etc.)	सभी प्रकार के हितग्राहियों को योजनान्तर्गत सम्मिलित किये जाते हैं। All types of Beneficiaries are covered under the scheme.

8	<p>हितग्राहियों के लिए पात्रता मानदंड यदि कोई हो तो</p> <p>Eligibility criteria for the beneficiary, if any</p>	<p>18 वर्ष से अधिक उम्र वाले तथा बैंक से डिफाल्टर न हो।</p> <p>Age over 18 years and not a defaulter of bank.</p>
9	<p>क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है।</p> <p>Whether assistance is provided on an individual basis/both, individual and group basis.</p>	<p>व्यक्तिगत / समूह स्तर</p> <p>Both individual & group basis.</p>
10	<p>प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राशि हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राहियों के लिये अलग-अलग जानकारी प्रस्तुत की जायें)</p> <p>Whether assistance is provided on an individual/group basis or both.</p>	<p>परिवार मूलक योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं सामान्य वर्ग को परियोजना लागत के 50% या अधिकतम 13500/- अनुदान देय, जो भी कम हो।</p> <p>Maximum subsidy Rs 13,500/-. Subsidy is provided to SC/ST/OBC/General/Minority category family. 50% subsidy of the project cost or Rs.13500/- whichever is less.</p>
11	<p>क्या अनुदान के अतिरिक्त हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देने का प्रावधान है यदि हाँ तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिये यह जानकारी प्रस्तुत की जायें।</p> <p>Whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other than subsidy being provided. If so, details thereof may please be provided for different categories of beneficiaries</p>	<p>मार्जिन मनी (स्वयं का अंशदान) लगाने का प्रावधान नहीं है।</p> <p>No provision of margin money.</p>
12	<p>किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियों योजनान्तर्गत अपेक्षित है।</p> <p>Type of economic activities envisaged under the Scheme.</p>	<p>ऋण राष्ट्रीयकृत बैंक एवं सहकारी बैंकों के माध्यम से तथा अनुदान बोर्ड द्वारा देय होता है।</p> <p>Loan amount is provided by National Bank & Cooperative Bank and subsidy is provided by the Department.</p>

13	<p>क्या व्यक्तिगत हितग्राहि/समूह के लिये कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गई है। यदि हाँ तो कृप्या इसका विवरण प्रस्तुत करें ।</p> <p>Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for a single borrower/ group. If so, please give details.</p>	<p>अधिकतम एक लाख रूपये तक सीमा निर्धारित है ।</p> <p>Maximum limit is Rs 1.00 lacs.</p>
14	<p>क्या योजनान्तर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है ।</p> <p>Whether any bank Loan is envisaged under the Scheme.</p>	<p>हितग्राही को बैंक द्वारा परियोजना लागत अनुसार ऋण स्वीकृत किया जाता है ।</p> <p>Loan is sanctioned to Beneficiaries as per Project Cost.</p>
15	<p>क्या हितग्राहियों के उपयोग के लिये राज्य शासन द्वारा परियोजना रूप रेखा(प्रोजेक्ट प्रोफाइल) तैयार कर लिये गये है ।</p> <p>Whether any project profiles, etc. have been prepared by the State Government for the use beneficiaries.</p>	<p>नहीं</p> <p>No.</p>
16	<p>अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो ।</p> <p>Additional details if any.</p>	<p>योजना का क्रियान्वयन बीस हजार से कम आबादी के ग्रामीण क्षेत्रों में ही किया जायेगा ।</p> <p>Scheme implemented on Rural Areas, Population below twenty thousand.</p>